जाग उठा हमारा आजाद हिन्दुस्तान

03 जनवरी 2023

मूलभूत सुविधाओं से वंचित नर्मदा विहार कॉलोनी वासियों ने जताया विरोध

बड़वाह -बड़वाह कस्बा पंचायत अंतर्गत आने वाली नर्मदा विहार कॉलोनी के रहवासी मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर आक्रोशित है। शनिवार को कॉलोनी की महिलाओं ने कस्बा पंचायत पहुंचकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि नर्मदा विहार कॉलोनी में रहते है दस साल हो गये है लेकिन न पीने के पाने की सुविधा है न सड़क बनी हुई है। पेयजल में नाली के पानी की बदबू आती है। स्ट्रीट लाइट भी लम्बे समय से बंद है।चुनाव के पहले समस्या सुलझाने के दावे किए। जिस पर हमने विश्वास किया लेकिन अब सरपंच बनने के बाद भी गुहार लगाना पड़ रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में सरपंच चेतना राजेश पाटीदार ने कहा कि नर्मदा विहार कॉलोनी पंचायत को हैंड ओवर नहीं की गई है।यही कारण है कि पंचायत इस कॉलोनी में विकास कार्य नहीं करवा सकती है। यदि भविष्य में कॉलोनी हैंड ओवर होगी तो विकास कार्य पंचायत की ओर से करवाया जाएगा।संबंधित कॉलोनाइजर ही यहां विकास कार्य करवा सकता है। हालांकि सरपंच ने कॉलोनी में रोजगार सहायक को भेजकर कॉलोनी वासियों की समस्याएं समझने का प्रयास भी किया।

भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी घोषित...

बड़वाह- भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजेश जायसवाल ने प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मदनलाल राठौड व सह संयोजक अनंत पंवार की सहमति से सहकारिता प्रकोष्ठ खरगोन के जिला पदाधिकारियों का मनोनय किया है।जिसमें सह संयोजक - श्याम शर्मा (बड़वाह), श्रीराम पटेल (रायबिडपुरा), कैलाश पाटीदार (सीनगुन), राजेंद्र पाटीदार (मातमूर), चैनसिंह सिसौदिया (ब्राह्मणगांव), कृष्णराज सिंह तोमर (भीकनगांव), लक्ष्मी नारायण पटेल (नगावां), रमेश पटेल (गुजर बावडी), लोकेंद्र सुराणा (तेड), कार्यालय मंत्री - प्रदीप पाराशर (खरगोन), सह कार्यालय मंत्री - सतीष चौधरी (सेगांव), मिडिया प्रभारी - नारायण बर्फा (कोदल्याखेडी) तथा सह मिडिया प्रभारी - संजय गेहलोत (सोरठी बारूल) को मनोनीत किया है।

नवभारत साक्षरता प्रशिक्षण सह अकादमिक बैठक सम्पन्न

बड़वाह -राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल एवं जिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खरगोन के निर्देशानुसार शनिवार जनपद शिक्षा केंद्र बड़वाह में नवभारत साक्षरता प्रशिक्षण सह अकादमिक बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य प्रशिक्षक राजेश खोड़े अकादमिक समन्वयक एवं सुनील भालेकर अकादमिक समन्वय द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 21 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को नवसाक्षर करने हेतु नवभारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसका नया नाम सभी के लिए शिक्षा नाम से परिवर्तित किया गया है।नवभारत साक्षरता कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग का ही एक भाग है। प्रशिक्षण में प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण, साक्षरता कक्षाओं का संचालन, मानिटरिंग, कार्य योजना, और असाक्षरो का विकासखंड वार चिन्हांकन एवं लक्ष्य निर्धारण तथा माह फरवरी 2023 में होने वाली बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा हेतु कार्य योजना की तैयारी आदि का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में श्री डी.एस. पिपलोदे विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेश खेडेकर विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा लक्ष्य अनुसार कार्य करने, नियमित कक्षाओं के सचालन करने वर्तमान में विभागीय कार्य युडाइस, ओलम्पियाड, खाता परिवर्तन, स्टूडेंट खाता सुधार, गणवेश आदि आदि समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। आलोक चंद्रवंशी द्वारा नवभारत साक्षरता एप्प को मोबाइल के माध्यम से डाउनलोड कर असाक्षरों का पंजीयन, संचालन तथा समस्याओं का समाधान बताया गया। प्रशिक्षण में समस्त विकासखंड के समस्त जन शिक्षक एवं प्राचार्य उपस्थित हुए। प्रशिक्षण में भानु प्रिया ठाकुर, नरेंद्र बनसोडे, विजयसिंह चौहान, भुवनेश पाराशर, श्याम चौधरी, दीपक चौधरी, सतीश शाह, लालता प्रसाद तिवारी, संतोष सेन आदि समस्त जन शिक्षक उपस्थित हुए।

खरगोन में 60 करोड़ कीमत की शासकीय भूमि से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण

अतिक्रमणकर्ता पर वर्ष 2017 में कई धाराओं में है प्रकरण दर्ज

खरगोन- आशीष गप्ता

एंटीमाफिया अभियान के तहत प्रदेश में खरगोन शहर के भीतर बेशकीमती शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में वर्षो से शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण की अनुमानित बाजार मूल्य करीब 60 करोड़ रुपये हैं। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में बुधवार को तीन विभागों की संयुक्त कार्यवाही में कुल 11 एकड़ 76 डेसीमल भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि यह भूमि शासकीय रिकार्ड में प्रबंधक कलेक्टर के नाम से दर्ज है। इस पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया हुआ था। अतिक्रमण हटाकर शासकीय स्वामित्व में लिया जाएगा। एसडीएम श्री ओमनारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खसरा नम्बर 102 व 104 पटवारी हल्का 5 की कुल 11.एकड़ 76 डेसीमल भूमि के स्वामी प्रबंधक कलेक्टर है। मांगरूल रोड़ स्थित भूमि पर मॉ बाघेश्वरी कृषि मार्फ बनाकर योगेश ठक्कर द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

अतिक्रमणकर्ता पर 5 वर्ष पहले हुई थी एफआईआर दर्ज

कार्यवाही के दौरान एसडीओपी श्री राकेश शुक्ला ने बताया कि अतिक्रमण कर्ता पर वर्ष 2017 में मेनगांव थाने में कई धाराओं में प्रकरण दर्ज है। उन पर भादसं 1860 में और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। इन मामलों को लेकर एसपी श्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि अतिक्रमणकर्ता पर 2017 में एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। अब तक उस मामले में क्या कार्यवाही हुई है। इसकी जानकारी लेकर आगे वैधानिक कार्यवाही करने की जरूरत होगी तो की जाएगी।

अतिक्रमण स्थल पर चला बुलडोजर

अतिक्रमण स्थल पर कृषि फॉर्म बनाकर योगेश ठक्कर द्वारा भूमि का उपयोग करना पाया गया। फार्म पर अतिक्रमण कर 2.0 बाय 40 फीट द्वोत्र में रखे गए सूखे चारे, 30 बाय 40 फीट में बने भवन और 25 बाय 60 फीट में स्थापित टीन शेड का तोड़ा गया। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में कृषि भूमि करते पाया गया।

मौके पर कलेक्टर श्री कुमार एसडीएम श्री सिंह और नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल को पूरी भूमि खाली करा कर भूमि को शासकीय अधिपत्य में लेने के निर्देश दिए हैं।

दिन में खनिज निरीक्षक ने एक जेसीबी और रात में खनिज अधिकारी ने 2 ट्रेक्टर एक जेसीबी पकड़ी

खरगोन-खनिज विभाग की लगातार क्षेत्र में सक्रियता से निरंतर अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर कार्यवाही जारी है। गत दिवस सोमवार की शाम को भी खनिज निरीक्षक प्रियंका अजनार द्वारा छोटी कसरावद क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गई। खनिज अधिकारी श्री सावन चौहान ने बताया कि दोपहर 4 बजे मुखबिर की सूचना के बाद दल को भेजा गया। मौके पर जेसीबी क्रमांक एमपी 09 जीएफ 8709 द्वारा मुरुम का अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। निरीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुए जेसीबी कसरावद थाने में पुलिस अभिरक्षा में खड़ी करवायी गई है। इसके अलावा रात को करीब 10 बजे के बीच ग्रामीणों में जामली और पिपरखेड़ा के बीच बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खनन की शिकायत की गई। सूचना के आधार पर खनिज अधिकारी दल के साथ पहुँचे। यहां एक जेसीबी मुरुम का अवैध खनन कर पास ही खड़े ट्रेक्टर में भरा जा रहा था। जबकि मौके स्थल पर 1 ट्रेक्टर खाली होकर भरने की तैयारी में थी। खनिज अधिकारी ने जेसीबी क्रमांक एमपी 10 डीए 0764 और बिना नम्बरो वाले 2 ट्रेक्टरों को जब्त कर खरगोन पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया

नर्सरियों के माध्यम से स्व सहायता समूह की आय बढ़ाने की योजना तैयार

खरगोन-खरगोन जिले में महिला स्व सहायता समूहों की आय में वृद्धि करने के लिए पूर्व में भी प्रयास कर कलेक्टर परिसर में दीदी कैफे प्रारम्भ किया गया। अब इसी तरह एक अन्य क्षेत्र में स्व सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए योजना तैयार की गई है। गत दिवस गुरुवार देर शाम तक चली ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में कलेक्टर श्री कुमार ने योजना का खांका तैयार कर सम्बंधित विभाग को अमल में लाने के निर्देश दिए है। इस योजना पर पूर्व में 29 सितम्बर को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं करने पर कलेक्टर श्री कुमार ने उपयंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उपयंत्री जावेद खान को नोटिस जारी करने के साफ संकेत दिए कि योजना को पूरी करने में कोई कोताही नहीं चलेगी। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कुमार ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग महेश्वर और खरगोन डिवीजन द्वारा किये गए विभिन्न निर्माण कार्यों के ता?ा ?ोटो देखकर समीक्षा की गई। पूर्व में मियावाकी तकनीक पर किये पौधारोपण के फोटोग्राफ और अपडेट जानकारी लेने के बाद कलेक्टर श्री कुमार ने सभी इंजीनियरों से कहा कि निमाड़ में नीम के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल जलवायु है। ज्यादा से ज्यादा नीम लगाए जा सकते हैं। बैठक में सीएम हेल्पलाईन, एनआरएलएम, पंचायत प्रकोष्ठ, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पीएम आवास (ग्रामीण) मनरेगा और आयुष्मान कार्ड की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा, अतिरिक्त सीईओ श्री पुरुषोत्तम पाटीदार, समस्त योजनाओं के परियोजना अधिकारी, समस्त जनपदों के सीईओ, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री उपस्थित रहे।

दो विभाग मिलकर तैयार करेंगे फलों वाली नर्सरियां

स्व सहायता समूहों की आय बढ़ाने की दिशा में कलेक्टर श्री कुमार ने वॉटर शेड और विशेष रूप से उद्यानिकी विभाग को इसके लिए तकनीकी सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। भगवानपुरा के बलखड़ और खरगोन के लिक्खी गांव में उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में मॉडल स्वरूप उत्कृष्ट स्तर की फलों वाली दो नर्सरियां तैयार की जाएगी। इसमें उसी गांव के स्व सहायता समूह को इस नर्सरी का पूरा ज्ञान प्रशिक्षण देकर कार्य से जो?ना है। कलेक्टर श्री कुमार वॉटर शेड के पीओ रमाकांत पाटीदार से कहा कि 15 दिनों में इस संबंध में कार्य स्वीकृत करें। नर्सरी 2 एक? या इससे अधिक जगह पर भी हो सकती है। इस नर्सरी का ए ही उद्देश्य है। स्व सहायता समूह की आय हो इस नजरिए से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

वाटर शेड बनाएगा ढाई करोड़ के 13 बड़े तालाब

वॉटर शेड पीओ श्री पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 दिसम्बर को भगवानपुरा में 9 और खरगोन में 4 नए बड़े तालाब स्वीकृत हूए है। इस संबंध में बैठक के दोरान कलेक्टर श्री कुमार ने जानकारी ली। कुल 2.50 करोड़ की लागत से बनने वाले बड़े तालाबो को दोनों जनपदों के सीईओ को कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि आप दोनों की जिम्मेदारी है उत्कृष्ट स्तर की गुणवत्ता वाले तालाब निर्माण होने चाहिए। ऐसे तालाब बने की मॉडल तालाब हो।

पेसा एक्ट से होगा जनजातीय समुदाय का आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण

खरगोन। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की गरिमामयी उपस्थिति में मध्यप्रदेश 15 नवंबर 2022 को उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन के अधिकार देने के लिए पेसा एक्ट लागू किया गया। मध्यप्रदेश पेसा एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजातीय बहुल विकास खंड में पेसा एक्ट लागू किया गया है। पेसा एक्ट जनजातीय भाई-बहनों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति और उन्हें सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न बनाने का जरिया बन रहा है। यह एक्ट समाज के सभी नागरिकों के हित में है। किसी भी गैर-जनजातीय समाज के नागरिक के खिलाफ नहीं है। ऐसे जनजातीय भाई-बहन जो विकास की दौड़ में पीछे रह गये थे, पेसा एक्ट उन्हें मजबूत बनायेगा। पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को गाँव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 नकल साल में एक बार गाँव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा, जिससे जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो ग्राम सभा को रिकॉर्ड सुधारने की सिफारिश करने का अधिकार होगा। पटवारी को ग्राम सभा की बैठक में भूमि संबंधी विवरण पढ़ कर भी सुनाना होगा। पेसा एक्ट में प्रावधान है कि शासन की योजना के किसी भी प्रोजेक्ट में किये जाने वाले सर्वे और भू-अर्जन के लिये ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होगी। किसी भी जनजातीय नागरिक की भूमि छल-कपट और बल से अब कोई हड़प नहीं सकेगा। यदि कोई ऐसा करता है, तो ग्राम सभा को उसे वापस करवाने का अधिकार रहेगा। पेसा एक्ट बहला-फुसला कर धर्म बदलवाने और फिर जनजातीय समाज की जमीन हड़प लेने की आशंका को समाप्त करेगा। खनिज की खदान, जिसमें रेत, गिट्टी पत्थर की खदान शामिल है, के ठेके पर देना है या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। खदान पर पहला अधिकार सोसायटी, फिर गाँव की बहन-बेटी और उसके बाद पुरुष का होगा।

ग्राम सभा करेगी सिंचाई तालाबों का प्रबंधन

राज्य सरकार ने गाँव-गाँव में तालाब बनवाये हैं। इन तालाबों का पूरा प्रबंधन ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा तय करेगी कि तालाब में मछली पाले या सिंघा? की खेती हो। तालाब से जो आमदनी होगी, वह ग्राम सभा को मिलेगी। सौ एकड़ कृषि क्षेत्र में सिंचाई करने वाले तालाब का प्रबंधन अब सिंचाई विभाग नहीं ग्राम सभा करेगी।

वनोपज पर होगा ग्राम सभा का अधिकार

गाँव की सीमा के जंगल में होने वाली वनोपज- महुआ, हर्रा, बहेरा आदि को इकट्ठा करने और बेचने और भाव तय करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। तेन्दूपत्ता को तो?ने और बेचने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। इसमें सरकार का किसी भी प्रकार का दखल नहीं रहेगा। सरकार यह काम तभी करेगी, जब ग्राम सभा चाहेगी।

ग्राम विकास का फैसला भी ग्राम सभा करेगी

ग्राम सभा ही ग्राम विकास की कार्य-योजना बनायेगी। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ही ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि खर्च की जा सकेगी। काम के लिये गाँव से बाहर जाने वाले मजदूरी को पहले ग्राम सभा में यह बताना होगा कि वह कहाँ काम करने जा रहा है, उस स्थान का पता लिखाना होगा, जिससे उस मजदूर के हितों का ध्यान ग्राम सभा रख सके। यदि कोई बाहर का व्यक्ति गाँव में आता है, तो उसे भी ग्राम सभा को बताना होगा। मजदूरों को पूरी मजदूरी मिले, इसका ध्यान भी ग्राम सभा रखेगी। जनजातीय क्षेत्रों में केवल लायसेंसधारी साहूकार ही तय ब्याज दर पर पैसा उधार दे सकेंगे। इसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी। अधिक ब्याज लेने पर संबंधित साहूकार पर कार्यवाही होगी।

ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खुलेगी नई शराब दुकान

ग्राम सभा की मंजूरी के बिना गाँव में शराब और भांग की नई दुकान नहीं खुल सकेगी। किसी शराब दुकान को हटाने की सिफारिश ग्राम सभा कर सकेगी। यदि शराब की दुकान के पास स्कूल, अस्पताल और धर्मशाला है, तो ग्राम सभा उस शराब दुकान को वहाँ से हटाने की सिफारिश सरकार को कर सकेगी।

ग्राम सभा को बिना मंजूरी के खोली गई शराब की दुकानों पर कार्यवाही करवाने का अधिकार रहेगा। ग्राम सभा किसी विशेष दिन को ड्राय डे घोषित करने की सिफारिश कलेक्टर को कर सकेगी।

ग्राम सभा सुलझाएगी छोटे झगड़े

गाँव में शांति एवं विवाद निवारण समिति बनेगी और गाँव के छोटे-मोटे झगड़े थाने नहीं जायेंगे। ऐसे झगड़ों को अब ग्राम सभा में ही सुलझाया जायेगा। गाँव के किसी व्यक्ति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करने के पहले पुलिस को ग्राम सभा को बताना होगा।

ग्राम सभा कर सकेगी स्कूल-आँगनवाड़ी का निरीक्षण

पेसा एक्ट ने ग्राम सभा को अधिकार दिया है कि वह आँगनवाड़ी, स्कूल, आश्रम, छात्रावास का निरीक्षण करे और इनके काम ठीक से कराए। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के निरीक्षण और सामजिक अंकेक्षण का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा।

जनजातीय परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण

स्थानीय जनजातीय परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी ग्राम सभाओं की होगी। वे जनजातीय परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संस्थाओं और विवादों के निराकरण की रूढ़ीगत रीतियों को सुरक्षित और संरक्षित करेंगी। ग्राम सभा क्षेत्र में लगने वाले बाजार, मेलों और पशु मेलों का प्रबंधन भी करेंगी।